न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4541–एक / 2013, विरूद्ध आदेश दिनांक 11–08–2013 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार, देवास द्वारा प्रकरण कमांक 53 / अ–6 / 2012–13

.....

1– राजुबाई विधवा करण सिंह
2– अजुर्न पिता करण सिंह
3– लाखन पिता करण सिंह
निवासीगण–ग्राम राजोदा तह0 व
जिला–देवास, म0प्र0
4– मिश्रीबाई पिता करण सिंह पति गंगाराम
निवासी हाटपिपल्या तह0 हाटपिपल्या
जिला–देवास
5– बेबोबाई पिता करण सिंह पति स्व0 जगदीश
निवासी–सुतारबाखल देवास
6– भुरीबाई पिता करण सिंह पति लाखन
निवासीगण शांतिपुरा, देवास

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1– करण सिंह पिता मोहन सिंह मृतक
2– सरदारसिंह पिता करण सिंह
3– विक्रम पिता करण सिंह
निवासीगण राजोदा तह0 व जिला–देवास

.....अनावेदकगण

4– अयोध्याबाई पिता मोहन सिंह
पति देवीसिंह, निवासी राजोदा तह0 व जिला देवास
5– सम्पत बाई मोहनसिंह पति,
अन्तर सिंह निवासी ग्राम देहरी तह0 बागली, जिला–देवास

.....आपत्तिकर्ता

.....

श्री रजनीश द्विवेदी अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0एन0 सोनी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/6/17 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, जिला–देवास पारित आदेश दिनांक 11–08–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक राजूबाई आदि विधवा करण सिंह निवासी ग्राम राजोदा तहसील देवास द्वारा एक आवेदन म0प्र0 भू0–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 एवं 110 के तहत इस आश्य का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम जैतपुरा पटवारी ह0नं0 17 तहसल देवास में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 457 रकबा 3.848 हे0 लगान 30.73 पैसे की करणसिंह पिता मोहनसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 03.02.2013 को हो जाने के उपरांत आवेदकगण एवं अनावेदक क्र0 2 व 3 का मुतक के स्थान पर नामांतरण करने हेतु निवेदन किया गया । प्रकरण विधिवत न्यायालय में दर्ज किया जाकर विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया व मौजा पटवारी से मौका स्थिति अनुसार रिपोर्ट चाही गई, विज्ञप्ति तामिलों उपरांत विपक्षी क्रं0 2 व 3 द्वारा सूचना पत्र नहीं लेने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । अनावेदकगण सरदार सिंह पिता करणसिंह आदि द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 18.04.2013 के संबंध में जवाब आवेदकगण द्वारा दिनांक 27.04.2013 को पेश किया । अनावेदकगण की ओर से धारा 35(2) संहिता के तहत पूर्व में उनके विरूद्ध दिनांक 08.03.2013 को प्रकरण में स्थापित एक पक्षिय कार्यवाही के आदेश निरस्त करने बावत् आवेदन पत्र मय शपथ पत्र दिनांक 15.07.2013 को पेश किया गया । अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही स्थापित एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने के संबंध में अनावेदकगण के आवेदन पत्र एवं आवेदकगण के जवाब का अवलोकन भी किया गया । विचार उपरांत अनावेदकगण के विरूद्ध पूर्व में आदेश दिनांक 08.03.2013 के अनुसार स्थापित एकपक्षीय कार्यवाही संबंधी आदेश न्यायहित में निरस्त कर दिया गया । आवेदकगण द्वारा दिनांक 22.02.2013 को प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में हितबद्ध पक्षकार की हैसियत से अयोध्याबाई एवं सम्पतबाई द्वारा दिनांक 08.03.2013 को आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि आवेदकगण द्वारा ग्राम जैतपुरा तहसील देवास स्थित कृषि भूमि सर्वे नं0 457 रकबा 3.848 हें0 में वे भी मूल भूमि स्वामी

मोहनसिंह के वारसान होकर भूमिस्वामी की हैसियत में प्रश्नगत भूमि के खाते की भूमि में अपना नाम अंकित कराने की अधिकारी है । कम्प्यूटर की त्रुटिवश अयोध्याबाई व संपतबाई का नाम वर्ष 2012–13 के खाते में अंकित नहीं है । खाते में उनका नाम अंकित किया जाये । विचाराधीन प्रकरण में आपत्तिकर्ता की हैसियत में पुनः अयोध्याबाई व संपतबाई द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 15.07.2013 को मय आवश्यक दस्तावेज (मोहनसिंह की मृत्यु होने से दिनांक 07.01.1996 को स्वीकृत नामान्तरण संबंधी नामान्तरण पंजी की प्रतिलिपि तथा खसरा वर्ष 2006–07 से वर्ष 2010–2011 तक की प्रमाणित प्रति) पेश की गई है । आवेदकगण की ओर से संहिता की धारा 111 के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 28.09.2013 को प्रस्तुत किया गया तथा आपत्तिकर्ता की आपत्ति का जवाब दिनांक 08.08.2013 प्रस्तुत किया गया । आपत्तिकर्ताओं द्वारा संहिता की धारा 111 का जवाब दिनांक 03.10.2013 को पेश किया गया । तहसीलदार देवास द्वारा प्रकरण का पूर्ण अवलोकन कर आपत्तिकर्ता गण की आपत्ति दिनांक 28.11.2013 मान्य करते हुये आदेश पारित कर दिया गया । तहसीलदार देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2013 से दुःखी होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में संहिता की धारा 111 के अंतर्गत आवेदन के आदेश पर नियत प्रकरण में आपत्तिकर्ता की आपत्ति का निराकरण किया है जो कि विधिक प्रक्रिया एवं न्याय की मंशा के विपरित होने से उक्त आदेश निरस्ती योग्य है । आवेदकगण द्वारा जो आपत्ति का जवाब प्रस्तुत किया गया था, उसपर कोई विचार नहीं करते हुए एवं आपत्ति पर बिना तर्क श्रवण के बावजूद भी आपत्ति का निराकरण करने में गंभीर भूल की है । प्रकरण में आपत्ति के संबंध में कोई साक्ष्य अंकित नहीं होने के उपरांत भी आपत्ति का निराकरण किया गया । प्रकरण में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का कोई अवलोकन नहीं करते सिर्फ आपत्तिकर्ता के दस्तावेजों का अवलोकन हुए आपत्ति निराकृत करने में गंभीर भूल की गई है । उक्त निगरानी अन्दर अवधि में नियत न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है । अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तहसीलदार देवास द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करते हुए निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क किया की तहसीलदार, देवास द्वारा पारित आदेश न्यायासंगत एवं विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा अंतिम तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने दिनांक 17.10.2013 को आवेदक के धारा 111 के आवेदन पर तर्क सुनकर आवेदन के निराकरण के लिए नियत किया था । लेकिन अपने आदेश दिनांक 28.11.2013 में तहसीलदार ने अनावेदक की आपत्ति का निराकरण तो किया लेकिन आवेदक के धारा 111 के आवेदन का निराकरण नहीं किया । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ कि वह आगे कार्यवाही से पूर्व आवेदक के धारा 111 के आवेदन का भी निराकरण करें, इस निगरानी का अंतिम निराकरण किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर